M.P. State Legal Services Authority

NALSA (Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities) Scheme, 2024

नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2024

574, South Civil Lines, Jabalpur – 482001
Phone : 0761-2678352, 2624131 Fax : 0761-2678537
Email - mplsajab@nic.in Website:mpslsa.gov.in HelplineNo. 15100

Under Section 12 (d) of The Legal Services Authorities Act, 1987, persons with mental illness or other disabilities, are entitled to free Legal Services, for filing or defending a case. Section 12 (g) of The Legal Services Authorities Act, 1987, further extends the entitlement to all persons who are in custody in a psychiatric hospital or psychiatric nursing.

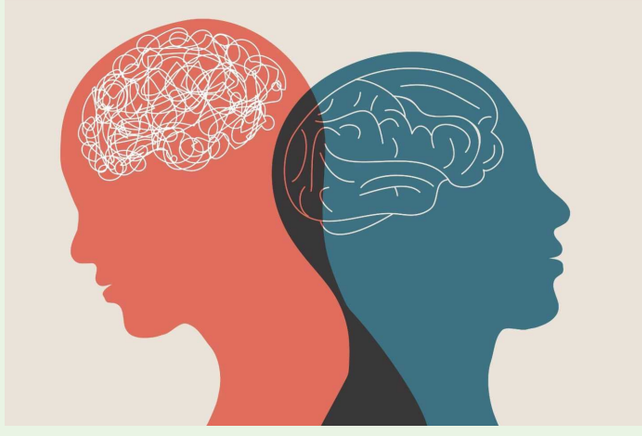

What is the objective of NALSA (Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities) Scheme 2024 ?

Persons with disabilities, especially those suffering from mental illness or intellectual disabilities, face a unique set of challenges within the legal system. As mental illness may impact a person's ability to understand legal proceedings and make informed decisions. Therefore, scheme has been launched with the objective of effective legal representation of such persons and ensure that they are treated in a fair and equitable manner.

Other important objectives of the scheme are as follows :-

I. To ensure that legal services are responsive to the specific legal and social needs of such persons.

II. To ensure that legal services are accessible for such persons.

III. To ensure that such persons have equal access to schemes, programmes, facilities etc.

What is Manonyay and how legal services will be provided through it ?

A very important feature of this scheme is that there will be a specialised Legal Service Unit for person with mental illness and persons with Intellectual Disabilities is called**"Manonyay" (LSUM)** in each district.

Through, Manonyay beneficiaries can avail legal services assistant and legal representation at following institutions/places:-

1. Legal Services at Mental Health establishments
2. Legal Services at the Police Stations.
3. Legal Services at courts including special courts.
4. Legal Services at Railway Stations, Bus Stand, Metro Station etc.
5. Legal Services at Beggar's Home, Women's Protection Homes.
6. Legal Services at the prison.
7. Legal Services at Talukas.
8. Legal Services through conduct of Home Visits.

What are the significant rights and entitlements of the persons with intellectual disabilities requiring intervention by Legal Service Institutions and providers ?

Following are the significant rights and entitlements:-

1. Under Section 12 (d) of Legal Services Authority Act persons with mental illness or other disabilities, are entitled to free Legal Services, for filing or defending a case.
2. Section 12 (g) of the Legal Services Authority Act further extends the entitlement to all persons who are in custody in a psychiatric hospital or psychiatric nursing.
3. Under section 27 of Mental Health Care Act (MHCA) a person with mental illness is entitled to receive free legal services to exercise any of his rights under MHCA.
4. Under Section 5 of MHCA, every person, who is not a minor, shall have the right to make advance directive in writing, specifying the way the person wishes to be cared for and treated for a mental illness.
5. Right to appoint the nominated representative (As per section 14 of MHCA).
6. Right to access mental health care (As per section 18 of MHCA).
7. Right to Community living (As per section 19 of MHCA).
8. Right to Protection from cruel, inhuman and degrading treatment (As per section 20 of MHCA).
9. Right to equality and non-discrimination (As per section 21 of MHCA).
10. Right to Information (As per section 22 of MHCA).
11. Right to confidentiality and restrictions on release of information in respect of mental illness (As per Section 23 of MHCA).
12. Right to access medical records (As per Section 25 of MHCA).
13. Right to personal contacts and communication (As per Section 26 of MHCA).

How can such persons avail legal services?

1. By dialing 15100 (Toll Free No.).
2. By visiting legal service unit (Manonyay) at institutions/places mentioned above.
3. By visiting legal aid clinic located at schools/ colleges.
4. By visiting District Legal Services Authority and High Court Legal Services Committee as the case may be.
5. By visiting Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, की धारा 12 (डी) के तहत मानसिक बीमारी या अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मुकदमा दायर करने या बचाव के लिए नि:शुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, की धारा 12 (जी) उन सभी व्यक्तियों को भी यह अधिकार देती है जो मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग में निरूद्ध हैं।

नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2024 का उद्देश्य क्या है ?

दिव्यांग व्यक्तियों, विशेषकर मानसिक बीमारी या बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी प्रणाली में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,क्योंकि मानसिक बीमारी किसी भी व्यक्ति की कानूनी कार्यवाही को समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अत: इस योजना को ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है तथा इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से परिपूर्ण हो।

योजना के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

I यह सुनिश्चित करना कि विधिक सेवाएं ऐसे व्यक्तियों की विधिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हों।

II यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवाएं सुलभ हों।

III यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्तियों को योजनाओं, कार्यक्रमों, सुविधाओं आदि तक समान पहुंच प्राप्त हो।

मनोन्याय क्या है और इसके माध्यम से विधिक सेवाएं कैसे प्रदान की जाएंगी ?

इस योजना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के हितार्थ प्रत्येक जिले में एक विधिक सेवा इकाई होगी, जिसे **'मनोन्याय'** (एलएसयूएम) कहा जाता है।

'मनोन्याय' के माध्यम से लाभार्थी निम्नलिखित संस्थानों/स्थानों पर विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं :-

1. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों पर विधिक सेवाएं।
2. पुलिस थानों में विधिक सेवाएं।
3. विशेष न्यायालयों में विधिक सेवाएं।
4. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन आदि पर विधिक सेवाएं।
5. भिक्षुक गृह, महिला संरक्षण गृह में विधिक सेवाएं।
6. जेल में विधिक सेवाएं।
7. तालुकाओं में विधिक सेवाएं।
8. गृह भ्रमण के माध्यम से विधिक सेवाएं।

बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के महत्वपूर्ण अधिकार क्या हैं जिनमें विधिक सेवा संस्थान और प्रदाताओं द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है ?

महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित हैं: -

1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 (डी) के तहत मानसिक बीमारी या अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मुकदमा दायर करने या बचाव के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं के हकदार हैं।
2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 (जी) उन सभी व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है जो किसी मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग में निरूद्ध हैं।
3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (एमएचसीए) की धारा 27 के तहत मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति एमएचसीए के तहत अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने का हकदार है।
4. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की धारा 5 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति, जो नाबालिग नहीं है, को लिखित रूप में अग्रिम निर्देश देने का अधिकार होगा, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि वह किस प्रकार मानसिक बीमारी के लिए देखभाल और उपचार चाहता है।
5. मनोनीत प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार (एमएचसीए की धारा 14 के अनुसार)।
6. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अधिकार (एमएचसीए की धारा 18 के अनुसार)।
7. सामुदायिक जीवन का अधिकार (एमएचसीए की धारा 19 के अनुसार)।
8. क्रू र, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार (एमएचसीए की धारा 20 के अनुसार)।
9. समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार (एमएचसीए की धारा 21 के अनुसार)।
10. सूचना का अधिकार (एमएचसीए की धारा 22 के अनुसार)।
11. मानसिकबीमारी के संबंध में गोपनीयता का अधिकार और सूचना जारी करने पर प्रतिबंध (एमएचसीए की धारा 23 के अनुसार)।
12. मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच का अधिकार (एमएचसीए की धारा 25 के अनुसार)।
13. व्यक्तिगत संपर्क और संचार का अधिकार (एमएचसीए की धारा 26 के अनुसार)।

ऐसे व्यक्ति विधिक सेवाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

1. 15100 (टोलफ्री नंबर) डायल करके।
2. उपरोक्त संस्थानों/स्थानों पर विधिक सेवा इकाई (मनोन्याय) पर जाकर।
3. स्कूल/कॉलेजों में स्थित कानूनी सहायता क्लिनिक पर जाकर।
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जैसा भी मामला हो, में जाकर।
5. मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में जाकर।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL